न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 64/2018

-: प्रार्थीगण :-

1. बचनाराम पुत्र नेनाराम
2. तेजाराम पुत्र भीकाराम
3. सोहनलाल पुत्र ओटाराम
4. मांगुराम पुत्र ओटाराम
5. हापूराम पुत्र माधुराम
6. मनोहरीदेवी पत्नि कालुराम
7. देवाराम पुत्र नेनाराम
8. अमराराम पुत्र ओटाराम
9. मदनलाल पुत्र हरजीराम
10. पेमाराम पुत्र माधुराम
11. मोतीराम पुत्र माधुराम

जातियान माली निवासीगण
अमरपुरा तहसील जैतारण
जिला पाली (राज.)

बनाम

-: अप्रार्थी :-

1. तहसीलदार, जैतारण
जिला पाली (राज)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.09/04/2018

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, सायल।
2. तहसीलदार जैतारण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/06/2018**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध गै0सा0 इस आशय का राजस्व मौजा-अमरपुरा पटवार हल्का राबडियावास में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 21 रकबा 03-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई है प्रार्थीगण की उक्त भूमि गोचर भूमि के पास गांव के नजदीक आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है मौके पर उक्त भूमि प्रार्थी बचनाराम के कब्जे काश्त में है क्योकि प्रार्थीगण ने आपस में खसरा नम्बर 21,22,52 का बंटवाड़ा किया उस वक्त खसरा नम्बर 21 बचनाराम को दी गई। प्रार्थीगण की उक्त खसरा नम्बर 21 के लगते ही गोचर जमीन खसरा नम्बर 50/1 रकबा 2-03 बीघा आई हुई है उक्त गोचर भूमि पर पशु, भेड़, बकरी आदि घास चरने के लिए आते है तब प्रार्थी की खातेदारी जमीन में नुकसान करते है। और गांव अमरपुरा के आवारा पशु भी प्रार्थीगण की जमीन में फसल को नुकसान करते है इसलिए प्रार्थीगण उक्त अपनी खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 21 रकबा 03-13 बीघा जमीन के दक्षिण की तरफ यानि गोचर जमीन के पास माठ पर सुखे पत्थरों की दीवार निकालना चाहते है। ताकि आवारा पशु आदि फसल को नुकासान नहीं कर सके प्रार्थी ने मौके पर अपने खेत में पत्थर डाल दिये है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पटवारी हल्का राबड़ियावास व भू.निरीक्षक बलाड़ा ने गांव अमरपुरा के चेनाराम वगैरहा द्वारा गौचर जमीन के खसरा नम्बर 50/1 पर की गई तारबंदी को हटाया गया उस वक्त प्रार्थी बचनाराम की खाई व कांटों की बाड़ भी हटा दी जिससे प्रार्थीगण की फसल को गांव के आवारा पशु नुकसान करते है इसलिए बचनाराम अपनी जमीन में सुखे पत्थरों की दीवार निकालना चाहते है ताकि फसल को आवारा पशु नुकसान नहीं कर सके। प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन के खसरा नम्बर 21 रकबा 03-13 बीघा का नाप चौप करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि मौके पर खातेदारी जमीन में कोई पशु आदि नुकसान नहीं कर सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने पटवारी हल्का/ भू.अ. निरीक्षक से फर्द मौका रिपोर्ट तैयसर कर प्रस्तुत की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। चूँकि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी का संक्षिप्त सुनवाई / विचारण का प्रकरण हैं। लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-अमरपुरा पटवार हल्का राबडियावास में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 21 रकबा 03-13 बीघा किस्म बारानी अव्वल का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner